

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-

मोहम्मद ताहिर (RAS)

वाद पत्र संख्या :-

85/2018

1. रमेश चन्देल आयु 52 वर्ष आत्मज छोटू लाल जाति चन्देल निवासी मकान नम्बर 6-जी-51, विज्ञान नगर, विस्तार योजना कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) - वादी

बनाम

1. कस्तूरचन्द माली आयु 50 वर्ष आत्मज नन्द लाल जाति माली निवासी ग्राम संवर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. दुर्गाशंकर आयु 45 वर्ष आत्मज घासीलाल जाति माली निवासी ग्राम चमारों का झौपड़ा विनायका तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0) - प्रतिवादीगण

वाद :- स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा


उपस्थित :-

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह गौड़
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 24.06.2019

1. वादी की ओर से यह वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का दिनांक 18.10.2018 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 246 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 249 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 263 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम संवर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में से 1/4 हिस्से को वादी ने जर्ज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। प्रतिवादीगण बिना हक व अधिकार के वादी को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित हिस्से से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं तथा



जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे हैं। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी के निहित 1/4 हिस्से से प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल नहीं करे इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं को पीडब्ल्यू 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष स्वयं को परिक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत् 2071-74 प्रदर्श 1 पेश की।
4. वादी वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद पत्र निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है वादी वाद वर्णित कृषि भूमि में निहित 1/4 हिस्से का खातेदार है तथा प्रतिवादी जबरन वादी को बेदखला करने में आमादा हो रहे हैं जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी वकील ने दौराने बहस दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 1 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया कि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। वादी के द्वारा वाद वर्णित भूमि स्वयं के खातेदारी में है इस बाबत दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रमाणित किया कि वाद वर्णित भूमि का वादी खातेदार है तथा स्वयं के वाद पत्र के समर्थन में स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया। प्रतिवादी की तरफ से ना तो वादी के वाद पत्र का जवाब पेश किया गया ना ही खण्डनात्मक साक्ष्य पेश की गई। ऐसीस्थिति में प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नहीं डाले, उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करवाये।

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की वाद वर्णित खातेदारी अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नहीं डाले,



उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करवाये। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

कार्य को अंत में ही सुनवाई किए गये, अधिकांश को उपस्थित में इस बाद में अन्य तारीख 24.06.2019 को सुन दिया जाता है य बाद निम्नानुसार किया किया जाता है कि-

कार्य का बाद एक नौकर किया जाकर प्रतिक्रिया को स्वयं देखाता है प्रत्येक किया जाता है कि कार्य को बाद अंत में ही सुनवाई अधिकार की भूमि पर अन्त में नहीं करे उपस्थित उपस्थित में जारी नये अंत उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करवाये।

दिनांक _____ मास _____ मूलिक _____ बका _____ वर्ष _____ अथवा इस सुनवाई के अंत में _____ दिनांक _____ को जारी किया गया है।

कार्य में सुनवाई के अंत में अंत में दिनांक 24.06.2019 को जारी की गई।



(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेड़ा

इजलास - मोहम्मद ताहिर
आर.ए.एस.

रमेश चन्देल V/S कस्तुरचंद वगै.

वाद- स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा

मुकदमा नम्बर :: 85/2018


वादी की ओर से श्री कुलदीप सिंह गौड़, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 24.06.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-

" वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की वाद वर्णित खातेदारी अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नही डाले, उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करवाये।"

नीजग..... मुबलिकग..... बाबतग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरहग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तकग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.06.2019 को जारी की गई।




(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा